कुलाधिपति
राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय
अलीगढ़ – 202140

CHANCELLOR
RAJA MAHENDRA PRATAP SINGH STATE UNIVERSITY
ALIGARH - 202140

राजभवन, लखनऊ
RAJBHAWAN, LUCKNOW

Ref No. ..... Date .....

संख्याः ई–4089/जी0एस0 दिनांक : 04 ~~अप्रैल~~ जून 2024

आदेश

1. प्रत्यावेदक श्री राजीव अग्रवाल, सचिव, प्रबन्ध समिति, धर्म समाज कॉलेज, अलीगढ़ (आगे 'महाविद्यालय') द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (आगे "अधिनियम") की धारा–68 के अन्तर्गत् अपना प्रत्यावेदन दिनांक 23.04.2022 एवं 15.06.2022 प्रस्तुत करते हुए महाविद्यालय के डा0 सुभाष चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग के विरूद्ध प्रबन्ध समिति द्वारा की गई कार्यवाही उचित एवं विधिसम्मत होने का उल्लेख करते हुए कुलपति, डा0 भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (आगे 'आगरा विश्वविद्यालय) के आदेश दिनांक 07.12.2019 को निरस्त कर स्पष्ट आदेश निर्गत किये जाने की याचना की गयी है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.12.2019 के माध्यम से विपक्षी/डा0 सुभाष चौधरी पर लगाये गये आरोपों को निरस्त करते हुए उन्हें सभी देय लाभों हेतु आदेशित किया गया है।

   उपरोक्त प्रत्यावेदन दिनांक 23.04.2022 एवं 15.06.2022, विपक्षी डा0 सुभाष की आख्या 26.08.2022, महाविद्यालय वर्तमान में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से सम्बद्ध/सहयुक्त होने के कारण कुलपति, उक्त राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की आख्या दिनांक 14.08.2023 तथा प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर दिनांक 22.09.2023 के आधार पर प्रकरण के मुख्य तथ्य निम्नवत् हैंः–

2(क). प्रत्यावेदक श्री राजीव अग्रवाल का कथन है कि महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा महाविद्यालय में कार्यरत् शिक्षक डा0 सुभाष चौधरी/विपक्षी की कालेज छात्रा से मोबाइल पर समय–समय पर हुई वार्ता के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार, वाट्सअप एवं यू–ट्यूब पर वायरल क्लिपों का संज्ञान लेते हुए प्रत्यावेदक ने अपने पत्र दिनांक 25.07.2019 एवं 26.07.2019 द्वारा महाविद्यालय के

कुलाधिपति
राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय
अलीगढ़ – 202140

CHANCELLOR
RAJA MAHENDRA PRATAP SINGH STATE UNIVERSITY
ALIGARH - 202140

राजभवन, लखनऊ
RAJBHAWAN, LUCKNOW

Ref No. ..... Date .....

प्रधानाचार्य से डा0 सुभाष/विपक्षी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया। डा0 सुभाष का स्पष्टीकरण दिनांक 28.07.2019 प्राप्त होने के पश्चात् प्रबन्ध समिति की आवश्यक बैठक दिनांक 31.07.2019 में प्रकरण को प्रस्तुत कर प्रकरण की गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत सर्वसम्मति से समिति गठित कर जॉच कराये जाने का निर्णय लिया गया। गठित जॉच समिति द्वारा समस्त पक्षों को सुनने के पश्चात प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तुत की गयी जॉच रिपोर्ट दिनांक 14.09.2019, प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 20.09.2022 में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत की गई जिसके परिशीलनोंपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली की धारा 16.04(1)(b), (d) एवं (e) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत विपक्षी/डा0 सुभाष को दोषी पाया गया तथा उनके विरूद्ध सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित किया गया :–

"1. *डा0 सुभाष, एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग की दो वेतनवृद्धि तत्काल प्रभाव से रोकी जाय।*
2. *डा0 सुभाष, एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विभाग को उनकी सेवानिवृत्ति तक किसी भी प्रशासनिक पद पर रखे जाने से प्रतिबन्धित किया जाय, साथ ही विश्वविद्यालय सहित किसी बाह्य संस्था के प्रशासनिक पद के लिये उनके नाम की संस्तुति न की जाय।*
3. *महाविद्यालय में होने वाली सभी आंतरिक एवं विश्वविद्यालय की लिखित मौखिक/प्रयोगात्मक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में सेवानिवृत्ति तक भागीदारी करने से प्रतिबन्धित किया जाय।*
4. *विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं के दायित्वों से आजीवन विरत रखने हेतु कुलपति से अनुरोध किया जाय।"*

प्रबन्ध समिति के उपर्युक्त निर्णयानुसार परिनियमावली की धारा–16.06(3) के अनुपालन में सम्बन्धित अध्यापक को प्रस्तावों से अवगत कराने हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य को पत्र दिनांक 30.09.2019 प्रेषित किया गया एवं प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 20.09.2019 में पारित प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय को सभी साक्ष्यों सहित प्रस्ताव पत्र दिनांक 30.09.2019 के माध्यम से प्रेषित किया गया।

कुलाधिपति
राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय
अलीगढ़ – 202140
CHANCELLOR
RAJA MAHENDRA PRATAP SINGH STATE UNIVERSITY
ALIGARH - 202140

राजभवन, लखनऊ
RAJBHAWAN, LUCKNOW

Ref No. .....

Date .....

2(ख). प्रत्यावेदक के कथनानुसार कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय द्वारा बिना किसी सुनवाई किये एवं प्रत्यावेदक के पत्र दिनांक 30.09.2019 को अनदेखी करते हुए, परिनियमावली की धारा–16.06(4)(iii) को वर्णित कर प्रबन्ध समिति की कार्यवाही को असंवैधानिक मानते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.12.2019 द्वारा प्रबन्ध समिति की कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया। उक्त के क्रम में प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 16.12.2019 में लिये गये निर्णयानुसार कुलपति को प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.12.2019 पर पुनर्विचार हेतु दिनांक 25.12.2019 को पत्र, दिनांक 20.01.2020, 19.02.2020, 21.02.2020 एवं 13.03.2020 को स्मरण पत्र प्रेषित किया गया।

2(ग). कुलपति/कुलसचिव, आगरा विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमावली की धारा–16.06(4)(iii) को वर्णित कर गैर–विधिक आदेश दिनांक 07.12.2019 पारित किया, जबकि महाविद्यालय द्वारा अपना पत्र दिनांक 30.09.2019 कुलपति कार्यालय में दिनांक 05.10.2019 को प्राप्त कराया गया था। कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति द्वारा शिक्षक पर लगाये गये आरोप, छात्रा के उल्लिखित बयान एवं प्रत्यावेदक के पत्र दिनांक 30.09.2019 का संज्ञान नहीं लिया गया, क्योंकि पत्र दिनांक 30.09.2019 में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि *"जहाँ तक ऑडियो क्लिपों का प्रश्न है वह प्रबन्ध समिति के पास सुरक्षित है, जो आप की मांग पर उपलब्ध करा दी जायेगी।"* परन्तु कुलपति के आदेश में कहीं भी उद्धृत नहीं है कि उनके द्वारा प्रत्यावेदक के पत्र दिनांक 30.09.2019 का संज्ञान लिया गया है तथा विपक्षी डा0 सुभाष के प्रत्यावेदन को आधार बनाकर एक पक्षीय आदेश दिनांक 07.12.2019 पारित कर दिया गया है, अतएव प्रत्यावेदक द्वारा अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.12.2019 को निरस्त कर प्रकरण में समस्त साक्ष्यों के आलोक में स्पष्ट आदेश निर्गत किये जाने की याचना की गई है।

3(क). विपक्षी डा0 सुभाष चौधरी का कथन है कि उनके विरूद्ध महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा दुर्भावनापूर्ण, पूर्वाग्रह से ग्रस्त एवं एकपक्षीय गैर विधिक पारित प्रस्ताव को कुलसचिव, आगरा विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 07.12.2019 द्वारा असंवैधानिक घोषित करते हुए समस्त आरोपों को निरस्त कर दिया गया, जिसके क्रम में उनके ऊपर अधिरोपित दण्ड संख्या 01 को कुलपति के आदेश दिनांक 07.12.2019 के आलोच्य में, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा द्वारा स्वीकार न करते हुए उसे वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की गई है, जबकि प्रबन्ध समिति द्वारा अधिरोपित दण्ड संख्या 02 एवं 03 को कुलपति के आदेश के बावजूद भी यथावत रखा गया है, जो कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय के आदेश की अवमानना है।

3(ख). विपक्षी डा0 सुभाष को माह नवम्बर, 2021 में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयनित प्राचार्य प्रो0 राजकुमार वर्मा द्वारा महाविद्यालय के सम्मुख समस्त प्रकरण प्रस्तुत करने पर उन्होंने कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 07.12.2019 का अनुपालन करते हुए विभिन्न दायित्वों को सौंपा गया, जिससे क्षुब्ध होकर प्रबन्ध समिति ने कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 07.12.2019 के लगभग ढ़ाई वर्ष से अधिक समय के पश्चात् कुलाधिपति के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है जो पूर्वाग्रह एवं दुर्भावना से ग्रसित है। विपक्षी डा0 सुभाष ने प्रत्यावेदक का प्रत्यावेदन विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–68 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं होने के कारण निरस्त Timebarred किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त धारा–68 के प्रावधानों के विरुद्ध निर्धारित समय–सीमा के काफी अन्तराल के पश्चात् प्रत्यावेदक द्वारा धारा–68 में योजित अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

3(ग). प्रबन्ध समिति के अविधिक क्रिया–कलापों की जॉच, कुलपति, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (चूँकि महाविद्यालय वर्तमान में इसी

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध/सहयुक्त है अतएव आगे 'अलीगढ़ राज्य विश्वविद्यालय') द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति के माध्यम से कराई जा रही है। गैरविधिक क्रिया–कलाप और बढ़ने के कारण कुलपति ने अपने आदेश दिनांक 04.08.2022 द्वारा जॉच लम्बन अवधि में प्रबन्ध समिति के वित्तीय व नीतिगत अधिकारों पर रोक लगाई गयी है तथा आदेश दिनांक 26.08.2022 द्वारा एकल संचालन के आदेश भी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा को दिए गये हैं। तदनुसार, विपक्षी डा0 सुभाष द्वारा प्रत्यावेदक द्वारा पूर्वाग्रह एवं दुर्भावना से ग्रसित होकर निर्धारित समय–सीमा के उपरान्त प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4(क). कुलसचिव, अलीगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की आख्या में उल्लेख है कि महाविद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 31.07.2019 में डा0 सुभाष, विपक्षी के सम्बन्ध में जॉच समिति का गठन किया गया था, उक्त समिति में श्री राजीव अग्रवाल/प्रत्यावेदक भी एक सदस्य के रूप में थे, जो तत्कालीन प्रबन्ध समिति के सचिव थे, इस प्रकार से जॉच समिति द्वारा डा0 सुभाष के विरूद्ध आख्या दिया जाना स्वाभाविक प्रतीत होता है। जॉच समिति के निष्कर्ष के प्रथम बिन्दु में उल्लेख किया गया है कि *"डा0 सुभाष और छात्रा के मध्य वार्तालाप बिना कांट–छांट एवं टेम्पर्ड रहित है।"* उचित प्रतीत नहीं होता है।

4(ख). जॉच समिति के निष्कर्ष के अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण जॉच समिति के निष्कर्षों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, इन निष्कर्षों को प्रबन्ध समिति की बैठक में प्रमाणित करते हुए तत्काल प्रभाव से दण्ड अधिरोपित किये गये हैं, जबकि दण्ड कुलपति के अनुमोदनोपरान्त ही अधिरोपित किये जा सकते हैं, जॉच समिति का यह कृत्य प्रबन्ध समिति द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना प्रदर्शित करता है।

4(ग). प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 20.09.2019 में जॉच आख्या के आधार पर विपक्षी डा0 सुभाष को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से आजीवन पृथक रखने का प्रस्ताव भी सम्मिलित है, जो प्रबन्ध समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं है तथा सम्बन्धित प्रस्ताव जिन आधारों पर पारित किये गये हैं, उन आधारों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे प्रबन्ध समिति की बैठक में आधारहीन प्रस्ताव पारित किया जाना परिलक्षित होता है। प्रत्यावेदक द्वारा कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 07.12.2019 को अविधिक, असंवैधानिक व जॉच समिति की आख्या आदि का संज्ञान न लेते हुए निर्गत किये जाने का आरोप लगाया जाना निराधार है। कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय का आदेश उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर पारित किया गया उचित आदेश है। प्रकरण में, विपक्षी डा0 सुभाष के विरूद्ध जॉच समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव एवं की गई कार्यवाही पूर्वाग्रह से ग्रसित होना तथा सम्बन्धित आरोपों को प्रमाणित साक्ष्यों के अभाव में आरोपित किया जाना परिलक्षित हो रहा है। महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा प्रमाणित साक्ष्यों के अभाव में महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा की गई कार्यवाही को विधिक नहीं माना जा सकता है।

5(क). विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण में प्रेषित आख्या के सापेक्ष, प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर में उल्लेख है कि प्रबन्ध समिति के सचिव (श्री राजीव अग्रवाल), विपक्षी डा0 सुभाष चौधरी के अपकृत्यों के सम्बन्ध में गठित जॉच समिति के सदस्य नहीं थे। श्री राजीव अग्रवाल, जो जॉच समिति के सदस्य थे, वे धर्म समाज सोसाइटी के सदस्य थे, न कि धर्म समाज कॉलेज प्रबन्ध समिति के सचिव। जॉच समिति में मुख्य रूप से सेवानिवृत्त कार्यवाहक प्राचार्य डा0 ए0के0 तोमर एवं सीनियर एडवोकेट श्री रामबाबू शर्मा थे। जॉच समिति ने डा0 सुभाष एवं छात्रा के मध्य वार्तालाप को आरोपी के समक्ष सुनवाया एवं उसका एक–एक वाक्य लिखित में टाइप कराया गया था। जॉच समिति के निष्कर्षों को प्रामाणिक न मानने का कोई

आधार नहीं है। जॉच समिति की आख्या के उपरान्त दण्ड आरोपित करना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 एवं परिनियम 16.04(1) के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति का अधिकार है एवं उस पर अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार विश्वविद्यालय के कुलपति में निहित है। विश्वविद्यालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.12.2019 को पारित करने से पूर्व प्रबन्ध समिति से कोई स्पष्टीकरण नही मांगा गया तथा डा0 सुभाष के प्रार्थना पत्र/प्रतिवेदन पर भी प्रबन्ध समिति की कोई आख्या नहीं मांगी गयी। विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करने से पूर्व प्रबन्ध समिति से कोई स्पष्टीकरण/आख्या नहीं मांगी गयी है एवं प्रकरण के सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा प्रेषित प्रमाणित साक्ष्य, सी0डी0, लिखित कथन, विवेचना एवं जॉच समिति की आख्या सहित समस्त प्रमाण विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्रावली दिनांक 30.09.2019 में संलग्न हैं।

5(ख). विपक्षी द्वारा प्रेषित आख्या के विरुद्ध, प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर में उल्लेख है कि विपक्षी एवं बी0एससी0, रसायन विज्ञान की उक्त छात्रा के मध्य मोबाइल फोन पर 'अमर्यादित' वार्तालाप रिकार्डेड ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया एवं यू–ट्यूब चैनल पर वायरल तथा स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित हुआ; जो अत्यन्त संवेदनशील है। ऑडियो क्लिप से विशेष समुदाय के लोगों में अत्यन्त रोष पैदा हो गया। विपक्षी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 31.07.2019 में सर्वसम्मत प्रस्ताव से गठित की गयी तीन–सदस्यीय जॉच समिति द्वारा कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 14.09.2019 को विस्तृत जॉच मय ऑडियो क्लिप व उभयपक्षों के लिखित व मौखिक साक्ष्यों सहित आख्या प्रस्तुत की गयी जिसमें विपक्षी को परिनियमानुसार *"Misconduct"* एवं *"Academic Dishonesty"* का दोषी पाया गया, जिसके सन्दर्भ में विश्वविद्यालय को प्रेषित प्रस्ताव में कुलपति द्वारा प्रतिपरीक्षण किये बिना ही अपने एकपक्षीय आदेश दिनांक 07.12.2019 द्वारा प्रबन्ध समिति द्वारा लगाये गये दण्डात्मक प्रस्तावों को निरस्त कर दिया गया। प्रबन्ध समिति द्वारा उक्त आदेश पर पुनः विचार करने हेतु अपने विभिन्न पत्र प्रेषित किये

गये। आयोग से चयनित प्राचार्य द्वारा विपक्षी को सभी लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया। मार्च, 2019 से लगातार 08 माह तक व इससे अधिक समय तक कोविड–19 के कारण सभी शासकीय कार्य बाधित रहने के कारण प्रबन्ध समिति द्वारा धारा–68 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब/समयसीमा में छूट का अनुरोध किया गया तथा कुलाधिपति द्वारा समयसीमा में छूट देते हुए विपक्षी व विश्वविद्यालय से प्रकरण में आख्या हेतु पत्र जारी किया गया। कुलपति, अलीगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के अविधिक आदेश दिनांक 04.08.2022 एवं 26.08.2022 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 25252/2022 आदेश दिनांक 13.09.2022 द्वारा खारिज की जा चुकी है। विपक्षी के द्वारा प्रकरण में अमर्यादित वार्तालाप एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं में ज्यादा अंक दिलाने की बात कहकर अनुचित लाभ पहुंचाने, दुराचार व परीक्षा की शुचिता को भंग करने का अपराध किया गया है अतः प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

6. प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.12.2019 अवलोकनीय है जिसका सुसंगत अंश निम्नवत् है :

"महाविद्यालय द्वारा डा0 सुभाष पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित कोई भी साक्ष्य विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विश्वविद्यालय से उक्त कार्यवाही से पूर्व कोई अनुमोदन लिया गया है। विश्वविद्यालय की परिनियमावली की धारा 16.06(4)(iii) में प्रावधान है कि 'The resolution by the Management inflicting such punishment shall be reported to the Vice-Chancellor and shall be operative only when and to the extent, approved by the Vice-Chancellor."

अतः मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 05.12.2019 के कम में एवं विश्वविद्यालय की परिनियमावली की धारा 16.06(4)(iii) के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा की गई कार्यवाही को अवैधानिक मानते हुए डा0 सुभाष पर लगाये गये आरोपों को निरस्त करते हुए सभी देय लाभों हेतु आदेशित किया जाता है।"

7. प्रकरण में, जॉच समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट दिनांक 14.09.2019 का सुसंगत अंश अवलोकनीय है, जो निम्नवत् है :

"20. *उपरोक्त तर्कों से स्पष्ट है कि डॉ0 सुभाष चौधरी, एसो0 प्रो0 रसायन विज्ञान विभाग द्वारा फोन पर सम्बन्धित छात्रा से वार्तालाप, पूर्ण रूप से सम्बन्धित छात्रा से अमर्यादित व अनैतिक वार्तालाप करना है एवं एक शिक्षक द्वारा किसी छात्रा से अमर्यादित, अनैतिक व्यवहार के अन्तर्गत वार्तालाप करना उस शिक्षक की मर्यादा के विपरीत है अतः डॉ0 सुभाष चौधरी, एसो0 प्रो0 रसायन विज्ञान विभाग द्वारा सम्बन्धित छात्रा के साथ किया गया वार्तालाप "Misconduct" की श्रेणी में आता है।*

21. *डॉ0 सुभाष चौधरी, एसो0 प्रो0 रसायन विज्ञान विभाग द्वारा सम्बन्धित छात्रा को प्रयोगात्मक परीक्षाओं एवं लिखित परीक्षाओं में अच्छे अंक दिलवाने के लिए प्रेरित करना भी "Academic Dishonesty" है जो कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की शुचिता को भंग करना है।*

अतः जॉच समिति का निम्नलिखित निष्कर्ष है :–

(1) *डॉ0 सुभाष चौधरी, एसो0 प्रो0 रसायन विज्ञान विभाग एवं सम्बन्धित छात्रा के मध्य वार्ता की जो भी ऑडियो क्लिप वायरल हुई है उसके अन्तर्गत जो भी वार्तालाप हुआ है वह डॉ0 सुभाष चौधरी, एसो0 प्रो0, रसायन विज्ञान विभाग और सम्बन्धित छात्रा के मध्य का ही है जो कि बिना काट–छॉट एवं टेम्पर्ड के मूल वार्तालाप है।*

(2) *यह कि डॉ0 सुभाष चौधरी, एसो0 प्रो0 रसायन विज्ञान विभाग द्वारा सम्बन्धित छात्रा से की गयी वार्ता अमर्यादित वार्तालाप है, जो कि डॉ0 सुभाष चौधरी का सम्बन्धित छात्रा के प्रति अनुचित व्यवहार है, जिससे डॉ0 सुभाष चौधरी, एसो0 प्रो0 रसायन विज्ञान विभाग का कदाचार होना एवं उनकी सम्बन्धित छात्रा के प्रति दुर्भावना का होना प्रमाणित हो रहा है।*

(3) *यह कि डॉ0 सुभाष चौधरी, एसो0 प्रो0 रसायन विज्ञान विभाग द्वारा वार्ता में अपनी आवाज होने को स्पष्ट इंकार करना कि यह मेरी आवाज नहीं है। यह कृत्य असत्य की पराकाष्ठा है क्योंकि एक शिक्षक से इस प्रकार के असत्य कथन की आशा नहीं की जा सकती है जो कि विद्यार्थियों को संस्कार और ज्ञान देता है।*

(4) *यह कि डॉ0 सुभाष चौधरी, एसो0 प्रो0 रसायन विज्ञान विभाग के उपरोक्त कृत्य सम्बन्धित छात्रा से अमर्यादित वार्तालाप का होना पुरानी प्रतिष्ठित संस्था धर्म समाज महाविद्यालय की छवि को समाज एवं पूरे शिक्षा जगत में धूमिल करता है।*

(5) *यह कि डॉ0 सुभाष चौधरी, एसो0 प्रो0 रसायन विज्ञान विभाग द्वारा Misconduct का कृत्य किया गया है।*

(6) यह कि डॉ0 सुभाष चौधरी, एसो0 प्रो0 रसायन विज्ञान विभाग द्वारा सम्बन्धित छात्रा पर दबाव बनाकर उसके विभिन्न प्रयोगात्मक एवं लिखित परीक्षाओं में अंक बढ़वाने के लिए आश्वासन देना उनके द्वारा "Academic Dishonesty" है। एवं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की शुचिता को भंग करना है।

जॉच समिति के सदस्यों द्वारा डॉ0 सुभाष चौधरी, एसो0 प्रो0 रसायन विज्ञान विभाग के द्वारा "Misconduct" एवं "Academic Dishonesty" कृत्य किये गये प्रमाणित पाते हैं तथा सचिव, प्रबन्ध समिति के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु जॉच रिपोर्ट व निष्कर्ष सादर प्रेषित करते हैं।"

8. प्रत्यावेदक के कथनानुसार महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा डा0 सुभाष चौधरी/विपक्षी की कालेज छात्रा से मोबाइल पर हुई समय–समय पर वार्ता के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार, वाट्सअप एवं यू–ट्यूब पर वायरल क्लिपों का संज्ञान लेते हुए डा0 सुभाष/विपक्षी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर उक्त प्रयोजनार्थ गठित जॉच समिति द्वारा उभयपक्षों को सुनने के पश्चात प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट दिनांक 14.09.2019 में परिनियम 16.04(1)(b), (d) एवं (e) के अन्तर्गत विपक्षी/डा0 सुभाष को दोषी पाये जाने पर दण्डित किये जाने का निर्णय लेकर तत्सम्बन्धी प्रस्ताव से विपक्षी को अवगत कराकर कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय को सभी साक्ष्यों सहित पत्र दिनांक 30.09.2019 अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया। कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय द्वारा बिना कोई सुनवाई किये एवं प्रत्यावेदक के पत्र दिनांक 30.09.2019 को अनदेखी करते हुए प्रबन्ध समिति की कार्यवाही को असंवैधानिक मानते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.12.2019 द्वारा प्रबन्ध समिति की कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के पुनर्विचार हेतु कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति द्वारा शिक्षक पर लगाये गये आरोप, छात्रा के उल्लिखित बयान एवं प्रत्यावेदक के पत्र दिनांक 30.09.2019 का संज्ञान नहीं लिया गया जिससे कुलाधिपति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ तथा उक्त विलम्ब को सक्षम स्तर से उपमर्षित कर दिया गया है। तदनुसार, प्रत्यावेदक द्वारा कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.12.2019 को निरस्त कर

प्रकरण में समस्त साक्ष्यों के आलोक में स्पष्ट आदेश निर्गत किये जाने की याचना की गई है।

9. विश्वविद्यालय के कथनानुसार *"डा0 सुभाष एवं छात्रा के मध्य वार्तालाप बिना कांट–छांट एवं टेम्पर्ड रहित है"* यह स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि जॉच समिति में कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं रहा है और आडियो आवाज को किसी सक्षम एजेन्सी से प्रमाणित नहीं कराया गया है जिससे विपक्षी एवं छात्रा के मध्य हुए वार्तालाप के आडियो की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है। प्रबन्ध समिति द्वारा दण्ड अधिरोपित करते हुए विपक्षी को विश्वविद्यालय का कोई भी दायित्व नहीं सौंपें जाने की संस्तुति की है जिसके क्रम में विपक्षी पर दण्ड अधिरोपित किया गया है जो विधिमान्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय के किसी भी दायित्व से हटाये जाने का अधिकार कुलपति में निहित है। प्रबन्ध समिति द्वारा जॉच समिति की संस्तुति को प्रामाणिक मानते हुए उसकी समस्त संस्तुतियों के आधार पर विपक्षी पर दण्ड अधिरोपित किये गये हैं जो विधिसम्मत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परिनियम 16.06(4)(iii) के अनुसार किसी भी दण्ड को अधिरोपित या क्रियान्वित कुलपति के अनुमोदन के पश्चात् ही किया जा सकता है जबकि प्रकरण में प्रबन्ध समिति द्वारा कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही समस्त आरोप अधिरोपित करते हुए दण्ड दिया गया है, जो विधिमान्य नहीं है। इसके साथ ही जॉच समिति द्वारा विपक्षी के विरूद्ध पारित किये गये आरोपों के आधार का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए था, जबकि पारित प्रस्ताव में आरोपों के आधार का उल्लेख नहीं किया गया है।

10. प्रकरण में जॉच समिति की रिपोर्ट दिनांक 14.09.2019 के निष्कर्षों के आधार पर महाविद्यालय द्वारा विपक्षी को दण्डित/प्रतिबन्धित करने का निर्णय लेकर उक्त प्रस्ताव/निर्णय कुलपति के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया, जिसे कुलपति द्वारा प्रत्यावेदक के आवेदन पर विचार किये बिना अनानुमोदित/निरस्त कर दिया

गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त यह है कि जब तक आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध न हो जाए तब तक आरोपी/अपचारी को निर्दोष माना जाएगा। वर्तमान प्रकरण में, प्रत्यावेदक के विरुद्ध उक्त आरोप कैसे सिद्ध/पुष्ट होते हैं यह समझ से परे है क्योंकि मामले की पीड़िता/छात्रा के बयान शपथ–पत्र पर प्रस्तुत पत्र/शपथ–पत्र दिनांक 26.07.2019 में स्पष्ट अभिलिखित है तथा सम्बन्धित छात्रा द्वारा विपक्षी के आचरण पर किसी प्रकार का प्रश्नचिह्न न लगाते हुए उसे निर्दोष तथा सम्बन्धित कृत्य को साजिश व दुर्भावपूर्ण कहा गया है।

11. प्रत्यावेदक का यह कथन कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा **निरमा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सेबी, (2013) 8 एससीसी 20** के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त अवलोकनीय है, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि सम्बन्धित पक्ष ने प्रकरण में वांछित विस्तृत विवरण पहले ही दे दिया हो तब उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है तथा इससे प्रकरण के निस्तारण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रत्यावेदक/प्रबन्ध समिति द्वारा जॉच रिपोर्ट एवं टंकित कराये गये बयानों के आधार पर विपक्षी के विरुद्ध बिना पुष्ट हुए एवं बिना सुस्पष्ट आधारों पर उक्त दण्ड प्रस्तावित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में छात्रा द्वारा प्रस्तुत व संलग्न शपथ–पत्र दिनांक 26.07.2019 में विपक्षी को बदनाम करने की साजिश का पता चलने पर उसे निर्दोष बताया गया है तथा उसमें उन्हीं के कुछ साथी उसे बदनाम करना चाहते हैं, कहा गया है। श्री जिया–उर–रहमान पुत्र श्री इमामुद्दीन निवासी : नारऊ, थाना छतारी, पहासू, बुलन्दशहर द्वारा प्रकरण में तहकीकात करने पर उन्हें पता लगा कि विपक्षी व छात्रा के मध्य गुरु–शिष्या का रिश्ता है और जो ऑडियो उसे मिली है वह एडिटेड है तथा किसी साजिश के तहत शपथकर्ता/गवाहनामें के पास पहुची है। इसी सन्दर्भ में, जॉच रिपोर्ट मे संलग्नक 06 के रूप में संलग्न छात्रा की हस्तलिखित रिपोर्ट में उल्लेख है कि विपक्षी के साथ उसकी जो वार्ता है वह सिर्फ शिक्षक के

नाते हुई है और जैसा दर्शाया जा रहा है वैसा बिलकुल नहीं है और विपक्षी ने कभी उससे अमर्यादित तरीके से बात नहीं की है। इसके अतिरिक्त, प्रकरण में विपक्षी व छात्रा के मध्य हुए एवं टंकित कर प्रस्तुत किये गये वार्तालाप में और उपलब्ध अन्य साक्ष्यों से भी ऐसा कोई उल्लेखनीय तथ्य/कथन दर्शित नहीं है जिससे कि कदाचार का आरोप सिद्ध होता हो, इस प्रकार से सुस्पष्ट साक्ष्यों के अभाव में, यह प्रकिया भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का ही एक अंग है जिसे जॉच समिति एवं प्रत्यावेदक द्वारा उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णयज विधि **रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक व अन्य, (2009) 2 एससीसी 570** अवलोकनीय है जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि *"The provisions of the Evidence Act may not be applicable in a departmental proceeding but the principles of natural justice are. As the report of the Enquiry Officer was based on merely* ipse dixit *as also surmises and conjectures, the same could not have been sustained. The inferences drawn by the Enquiry Officer apparently were not supported by any evidence. Suspicion, as is well known, however high may be, can under no circumstances be held to be a substitute for legal proof."* जिसके आलोक में विधिक दृष्टि से स्वीकार किये जाने वाले उचित साक्ष्यों के आधार पर ही ऐसे प्रकरणों में निर्णय लिया जाना एवं आरोप सिद्ध होने पर ही उपयुक्त दण्ड प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

12. प्रत्यावेदक के प्रकरण के संदर्भ में, मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णयज विधि **आर. महालिंगम् बनाम चेयरमैन, टीएनपीएससी, एआईआर 2013 एससी 2225** भी अवलोकनीय है जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य के विपरीत अंकित किये गये निष्कर्ष के आधार पर दिये जाने वाले दण्ड को निरस्त किया जा सकता है, जिसके आलोक

में जॉच रिपोर्ट में साक्ष्य के विपरीत अंकित किये गये निष्कर्ष के आधार पर दिये जाने वाले दण्ड को निरस्त किया जाना विधिसम्मत होगा।

13. जॉच रिपोर्ट में उल्लिखित निष्कर्ष के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि सामान्यतया जॉच अधिकारी द्वारा आरोप सिद्ध होने पर भी आरोपी के विरुद्ध किसी प्रकार के दण्ड की संस्तुति नहीं की जाती है जबकि वर्तमान प्रकरण में त्रि–सदस्यीय जॉच समिति द्वारा सरसरी तौर पर जॉच सम्पन्न करते हुए आरोपी/विपक्षी के विरुद्ध अपने क्षेत्राधिकार से परे 05 वृहद् दण्ड, यथा : विपक्षी की दो वेतनवृद्धि तत्काल प्रभाव से रोके जाने, सेवानिवृत्ति तक किसी भी प्रशासनिक पद पर रखे जाने से प्रतिबन्धित कर विश्वविद्यालय सहित किसी बाह्य संस्था के प्रशासनिक पद के लिये उनके नाम की संस्तुति न किये जाने, महाविद्यालय की सभी आंतरिक एवं विश्वविद्यालय की लिखित मौखिक/प्रयोगात्मक व प्रतियोगी परीक्षाओं में सेवानिवृत्ति तक भागीदारी करने से प्रतिबन्धित किये जाने एवं विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं के दायित्वों से आजीवन विरत रखे जाने आदि की संस्तुति कर दी गयी है जो प्रबन्ध समिति के क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण विधिक दृष्टि से उचित नहीं है।

14. प्रकरण में, जॉच अधिकारी/प्रबन्ध तंत्र द्वारा जॉच रिपोर्ट में विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तावित उपर्युक्त दण्डों के विरुद्ध विपक्षी को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना परिलक्षित नहीं हो रहा है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार ही आवश्यक है कि अपचारी जिसके विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये गये हैं उसे जॉच कार्यवाही में, स्वयं के बचाव के लिए युक्तियुक्त तथा समुचित अवसर प्रदान किया जाये। यदि अपचारी को उपरोक्त प्रकार से पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है तो ऐसी जॉच रिपोर्ट दूषित मानी जायेगी तथा निरस्त किये जाने योग्य होगी। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त यह है कि अपचारी/विपक्षी को विभागीय जॉच में, जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी जॉच रिपोर्ट के विरुद्ध

अपना प्रत्यावेदन देने का अधिकार विधि द्वारा प्राप्त है। वर्तमान प्रकरण में, विपक्षी को जॉच रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन प्रदान किये जाने का अवसर प्रदान किया जाना परिलक्षित नहीं हो रहा है।

15. उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 68 के अंतर्गत कुलाधिपति को अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों का परीक्षण करने एवं उन पर प्रश्न उठाने की शक्ति प्राप्त है। इस सन्दर्भ में मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **रिट याचिका संख्या 29420/2010 प्रो0 एमटीएम खान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य** में पारित निर्णयादेश दिनांक 10.08.2015 अवलोकनीय है जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–68 के अधीन कुलाधिपति को प्राप्त शक्ति एक व्यापक शक्ति है जो कुलाधिपति को उन तथ्यों के मुद्दों की भी जॉच करने का क्षेत्राधिकार प्रदान करता है जो किसी संकाय सदस्य को दण्डित करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किये गये निष्कर्षों पर सवाल उठाने के उद्देश्य से उसके समक्ष उठाये जा सकते हैं। जॉच अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिये गये दण्ड साक्ष्य–विहीन एवं विकृत परिलक्षित होते हैं। प्रकरण में कोई पुष्टित साक्ष्य न होने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि विपक्षी पर उपर्युक्त आरोप स्थापित व सिद्ध हैं तदनुसार कुलाधिपति सम्बन्धित दलीलों/तर्कों पर विचार कर अपना निष्कर्ष स्थापित कर सकते हैं।

16. उपर्युक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तावित दण्डों/आरोपों के सन्दर्भ में बिना पुष्टित हुए कदाचार जैसा गंभीर आरोप, जॉच अधिकारी एवं महाविद्यालय द्वारा विपक्षी के विरुद्ध साबित होना मान लिया गया है। विधि का यह सामान्य सिद्धान्त है कि अपचारी/आरोपी को सन्देह का लाभ प्रदान किया जाता है जबकि वर्तमान प्रकरण में, उपर्युक्त आरोप पुष्ट न होने पर भी विपक्षी को दोषसिद्ध मानते हुए जॉच रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर 5–5 वृहद्–दण्ड दिये गये हैं, जो नियमानुकूल नहीं

है तथा उपलब्ध प्रपत्रों/अभिलेखों, जॉच रिपोर्ट व बयानादि से उक्त आरोप विपक्षी पर विधि की दृष्टि में सिद्ध नहीं माने जा सकते हैं, तदनुसार महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा विपक्षी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का अनानुमोदन प्रदान किये जाने सम्बन्धी विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.12.2019 में कोई अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है तथा इस संबंध में प्रत्यावेदक के कथन व तर्क विधि की दृष्टि में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं।

17. अतएव प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उपर्युक्त विधि व्यवस्थाओं एवं विवेचन के आलोक में, प्रत्यावेदक डॉ0 राजीव अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन निरस्त करते हुए प्रकरण निस्तारित किया जाता है।

Anandi Patel

(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री राजीव अग्रवाल, सचिव, प्रबन्ध समिति, धर्म समाज महाविद्यालय, एम0एस–5, अवन्तिका फेस–1, रामघाट रोड, अलीगढ़।
2. डॉ0 सुभाष चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग, धर्म समाज महाविद्यालय, अलीगढ़।
3. कुलपति, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
4. कुलपति, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

31/5/24

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

Issue Sri Ramesh
03.06.2024